रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 1992/वैशाख 21, 1914
No. 283] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 1992/VAISAKHA 21, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 1992

का.आ. 325 (अ) :—केन्द्रीय सरकार ने यह अन्वेषण करने की दृष्टि से एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी कि क्या भारत में कतिपय कीटनाशियों के निरंतर उपयोग

से मनुष्यों या जीवजंतुओं को ऐसी जोखिम होने वाली है जिसमे तुरंत कार्रवाई करना समीचीन या आवश्यक है ,

और उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि टेट्राडाइफोन, निकोटीन सल्फेट नाइट्रोफेन के उपयोग से मनुष्यों, जीवजंतुओं के लिए स्वास्थ्य परिसंकट और पर्यावरण को नुकसान होने वाला है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश तुरंत प्रभाव से पारित करती है, अर्थात् :—

(i) टेट्राडाइफोन का उपयोग भारत में प्रतिषिद्ध किया जाता है और उक्त अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाएगा ;

(ii) निकोटीन सल्फेट का उपयोग भारत में प्रतिषिद्ध किया जाता है ; परंतु निकोटीन सल्फेट का केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए देश में उत्पादन किया जाता रहेगा और वह इस आशय के उपांतरों के अधीन होगा ;

(iii) नाइट्रोफेन का उपयोग भारत में प्रतिषिद्ध किया जाता है और उक्त अधिनियम के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाएगा ।

[सं. 17-18/91-पीपी-1]

कंवर राजेन्द्र सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 11th May, 1992

S.O. 325(E).—Whereas the Central Government had set up an Expert Committee with a view to investigate as to whether the continued use of certain insecticides in India will involve such risk to human beings or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action ;

And whereas the Central Government, after considering the recommendation of the said Expert Committee and after consultation with Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is satisfied that the use

of Tetradifon, Nicotine Sulphate, and Nitrofen involves health hazards to human beings, animals and damage to the environment ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby passes the following orders with immediate effect, namely :—

(i) the use of Tetradifon is prohibited in India and the certificate of registration issued under the said Act shall stand cancelled ;

(ii) the use of Nicotine Sulphate is prohibited in India ; provided that the Nicotine Sulfate may be continued to be produced in the country only for export purposes and subject to the modification to this effect ;

(iii) the use of Nitrofen is prohibited in India and the certificate of registration issued under the said Act shall stand cancelled.

[No. 17-18|91-PP-I]

KANWAR RAJINDER SINGH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992